## ■ TO BECOME 'ATMANIRBHAR' BY 2047

## Navy to open all its branches for women

## Greater emphasis on maritime security

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, December 3

THE INDIAN NAVY is looking at opening all its branches for women from next year, Chief of Naval Staff Admiral R Hari Kumar said on Saturday.

Addressing a press conference a day ahead of the Navy Day, Admiral Kumar said that the first batch of around 3,000 'Agniveers' has been inducted and it included 341 women. In December last year, Navy officials said 28 women officers were deployed on board around 15 frontline warships, including aircraft carrier INS Vikramaditya, and the number is set to go up. "This is a landmark event for us because for



Admiral R Hari Kumar

the first time, the Navy is inducting women sailors. We have been inducting women officers for about the last 16-17 years, but this is for the first time that we are inducting women sailors," Admiral Kumar said.

The Navy celebrates December 4 as Navy Day to commemorate its daring attack on the Karachi harbour and its decisive victory in the 1971 Indo-Pak war. The Indian Navy has given assurances to the government that it will become 'Atmanirbhar' (self-reliant) by 2047.

The Chief of the Naval Staff also said the Navy keeps a strong vigil over the movements of various Chinese military and research vessels in the Indian Ocean Region. He said the Indian Navy achieved a very high operational tempo in the last one year and there has been greater emphasis on the criticality of maritime security as India marches ahead. The Navy Chief said his force aims to have Made-in-India security solutions for the country. The case for the proposed procurement of a fleet of Predator drones from the US is under process, Chief Kumar said.

The original proposal was to procure 30 MO-9B Predator armed drones at a cost of over \$3 billion to crank up India's surveillance apparatus along the frontier with China as well as in the Indian Ocean region.

## Govt allows sale of electoral bonds from tomorrow

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, December 3

THE GOVERNMENT ON Saturday approved issuance of the 24th tranche of electoral bonds that will open for sale on December 5.

The sale of bonds coincides with the second phase of the Gujarat assembly elections scheduled on December 5.

Electoral bonds have been pitched as an alternative to cash donations made to political parties as part of efforts to bring transparency in political funding. State Bank of India (SBI),

in the 24th phase of sale, has been authorised to issue and encash electoral bonds through 29 authorised branches from December 5-12, the finance ministry said in a statement. The last phase of electoral

9-15, 2022. Usually, electoral bond tranches are open for sale between 1-10 of a designated

between

22nd tranche of bond sales took place from October 1-10, 2022 while 21st tranche was from July 1-10, 2022.

Sale of the first batch of electoral bonds happened from March 1-10, 2018.

The authorised SBI branches include those in Lucknow, Shimla, Dehradun, Kolkata, Guwahati, Chennai, Patna, New Delhi, Chandigarh, Srinagar, Gandhinagar, Bhopal, Raipur, and Mumbai.

SBI is the only authorised bank to issue electoral bonds. electoral

will be valid for 15 days from the date of issuance. No payment would be made to any political party if the bond is deposited after expiry of the validity period, the statement said. Electoral bonds can be purchased by Indian citizens or entities incorporated or established in the bonds (23rd tranche) was country. Registered political parties that have secured not open for subscription less than 1% of the votes November polled in the last Lok Sabha or legislative assembly election are eligible to receive funding through month. For instance, the electoral bonds.

## Srei: CoC starts evaluations of three resolution plans

MITHUN DASGUPTA Kolkata, December 3

NATIONAL ASSET RECON-STRUCTION (NARCL), Authum Investment and Infrastructure, and the consortium of Varde Partners and Arena Investors have submitted resolution plans for acquiring two insolvent Srei companies, which are currently under the corporate insolvency resolution process. The deadline for submission

of the resolution plans by prospective resolution applicantswas December 2. Although AM Mining, an affiliate of ArcelorMittal, and Capri Global, were the late entrant to the final list of the prospective resolution applicants for the two NBFCs, they have not submitted resolution plans and dropped out of the race for buying out Srei Infrastructure Finance (SIFL) and Srei Equipment Finance (SEFL). The final list of the prospective resolution applicants for the two companies consisted of 17 entities. The consolidated committee of creditors (CoC) of the two Srei companies met on Saturday and started legal evaluations of the three resolution plans."After the completion of the legal evaluations of the resolution plans, commercial evaluation of the plans will start. The next CoC meet is scheduled on December 7. The process of approving a plan by the CoC is expected to be completed by December 15," sources close to the development told *FE*. According to the sources, the

consortium of Varde Partners and Arena Investors have submitted an improved resolution plan this time. The consortium is learnt to have submitted a financial bid of around ₹14,500 crore. During first round of the corporate insolvency resolution process (CIRP), the consortium had put forward a bid of around ₹ 14,000 crore. The second bid submitted by Shon Randhawa and her partnerwas of around ₹ 10,000 crore during the first round of CIRP, when the final list of the prospective resolution applicants had consisted of 13 entities. A mail sent to the administrator, Rajneesh Sharma, went unanswered till the time of going to press.

The creditors had not agreed upon the upfront cash offered by the two bidders in the first round, and with a view to maximise the value of the assets of the corporate debtors for all stakeholder, a request for fresh resolution plans was issued by the administrator. After that Expressions of Interest (EoIs) were received from AM Mining Capri Global Holdings, NARCI and Authum Investment and Infrastructure. And, following the approvals from the CoC, the administrator added the names of the entities to the final list of Prospective Resolution Applicants. Insolvency proceedings against SIFL and its subsidiary SEFL commenced in October 2021 after insolvency petitions filed by the Reserve Bank of India were approved by the Kolkata bench of the National Company Law Tribunal (NCLT). The final date for completion of the CIRP process is scheduled on January 5, 2023.

As per the procedures, the CoC would open a commercial or financial bid of the resolution plans received only if it meets legal compliance.

viduals who have made valu-

able contributions to the com

pany. As Oyo grows and a need

for some of these roles emerges

in the future, we commit to

#### **SHARP INDIA LIMITED**

Registered Office: Gat No. 686/4, Koregoan Bhima, Taluka Shirur, Dist: Pune - 412216 Phone No.: (02137) 670000/01/02 Fax No.: 02137 - 252453 Website: www.sharpindialimited.com CIN: L36759MH1985PLC036759 Email: chandranil.belvalkar@sil.sharp-world.com Extract of Financial Results for the Quarter Ended June 30, 2022

Sr. No.	Particulars	Quarter ended June 30, 2022	Year ended March 31, 2022	Corresponding Quarter ended June 30, 2021
		Unaudited	Audited	Unaudited
1	Total Income from Operations	2.87	25.33	0.33
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary Items)	(375.03)	(1,470.82)	(371.93)
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after exceptional and /or extraordinary Items)	(375.03)	(1,470.82)	(371.93)
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after exceptional and /or extraordinary Items)	(375.03)	(1,470.82)	(371.93)
5	Total comprehensive income for the period (comprising profit/(loss) for the period (after tax) and other comprehensive income(after tax))	(375.03)	(1,470.82)	(371.93)
6	Equity Share Capital	2,594.40	2,594.40	2,594.40
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year		(9,262.94)	-
8	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations)			
	1) Basic 2) Diluted	(1.45) (1.45)	(5.67) (5.67)	(1.43) (1.43)

Qualified opinion expressed by Statutory Auditors on stand alone Financial Results

We draw your attention to Note 4 to the Statement, regarding the preparation of financial results using the going concern assumption. The Company has ceased business operations during the financial year ended March 31, 2016 and has incurred loss during the current quarter ended June 30, 2022 aggregating to Rs. 375.03 Lakhs. The accumulated losses of the Company aggregate to Rs. 11,744.17. Lakhs as at June 30, 2022. While the holding company has provided a support letter to the Company, the plans for the revival of business operations and the consequent impact on the going concern assumption are not

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited Financial Results are available on the Stock Exchange website-www.bseindia.com and website of the company - www.sharpindialimited.com

Place: Pune Date: December 03, 2022

For **Sharp India Limited** Masahiko Nakagawasai Managing Director

# **Jaykay Enterprises Limited**

(CIN: L99999UP1961PLC001187) Regd. Office: Kamla Tower, Kanpur - 208 001 (India)

Ph. No. 91 512 2371478-81 Fax: 91 512 2332665

E-Mail: cs@jaykayenterprises.com; Website: www.jaykayenterprises.com

## POSTAL BALLOT NOTICE

Members of the Company are hereby informed that pursuant to Section 108 and Section 110 of the Companies Act, 2013, (the "Act"), read together with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, General Circulars No. 14/2020 dated April 8, 2020, No. 17/2020 dated April 13, 2020, No. 22/2020 dated June 15, 2020 No. 33/2020 dated September 28, 2020, No. 39/2020, December 31, 2020, No. 02/2021 dated January 13, 2021, No. 10/2021 dated June 23, 2021, No.20/2021 dated December 8, 2021 and No.03/2022 dated May 5, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs (the "MCA Circulars"), and other applicable provisions, including any statutory modification or reenactment thereof for the time being in force, the Company seeks approval of the Members by way of Postal Ballot Process (Remote E- Voting) in respect of the Resolutions as specified in the Postal Ballot Notice dated November 14, 2022 along with explanatory statement thereto as required under the provisions of section 102 read with section 110 of the Companies Act, 2013.

In compliance with aforesaid MCA Circulars electronic copy of the Notice of Postal Ballot has been sent in electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company /Depositories and whose names are recorded in the Register of Members of the Company or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the Cut-off dated i.e. November 25, 2022.

Members whose email address are not registered with the DPs or Company, are requested to register their email address, for obtaining Notice and login credentials by following instructions below:

 For Physical shareholders- please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) by email to Company or RTA email id i.e. cs@jaykayenterpises.com or RTA at iksingla@alankit.com\_respectively.

2. For Demat shareholders -Please update your email id & mobile no. with your respective Depository Participant (DP)

3. For Individual Demat shareholders - Please update your email id & mobile no, with your respective Depository Participant (DP) which is mandatory while e-Voting.

Members may note that Notice of Postal ballot is also available on the website of the Company i.e. www.jaykayenterprises.com website of BSE Limited i.e www.bseindia.com and website of Central Depository Services Ltd i.e. www.evotingindia.com.

The members of the Company are hereby notified that:

1. The voting rights of the Members shall be reckoned in proportion to the equity shares held by them on the Cutoff date on November 25, 2022.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Act, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and in terms of SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD/ CIR/P/2020/242 dated December 9, 2020 in relation to e- Voting facility to be provided by listed entities, the Members are provided with the facility to cast their vote electronically, through the e-Voting services provided by Central Depository Services Ltd, on the resolution(s) set forth in the Notice. The instructions for remote e-Voting are given in detail in Postal ballot Notice.

3. The remote e-Voting period would commence on Tuesday, December 06, 2022 (9.00 a.m.) and ends on Wednesday, January 04, 2023 (5.00 p.m.), the remote e-voting module shall be disabled by CDSL thereafter. 4. The Company has appointed CS HEMANT KUMAR SAJNANI, Company Secretary in whole-time practice with Membership No. FCS 7348 and Certificate of Practice No. 14214, as the Scrutinizer to scrutinize the remote evoting process in a fair and transparent manner.

The result of the Postal Ballot will be announced, not later than 2 working days of the conclusion of the remote e-voting and shall be placed on the website of the Company www.jaykayenterprises.com, the website of CDSL www.evotingindia.com. and on the Bombay Stock Exchange portal www.bseindia.com

Place: Kanpur Date: 03.12.2022

financialexp.epapr.in

Sd/-(Abhishek Pandey) Company Secretary & Compliance Officer Membership No. ACS-21958

By Order of the Board

### Powered by EVs, Tata motors on for No. 2 spot

In contrast, Tata has the Nexon EV, Tigor EV and Nexon EV Max, which contribute 7.8% to its total sales, and have collectively shown a 30% increase in sales since December 2021.

Tata looks to be in a stronger position in the EV space in the coming year too, reportedly with two launches — the Altroz EV and the Punch EV. Hyundai India will bolster its EV bouquet with the Ioniq 5 electric car, bookings for which will start on December 20, and launch soon after its showcase at the Auto Expoin January 2023. Shailesh Chandra, MD, Tata

Motors Passenger Vehicles and Tata Passenger Electric Mobil-

Total Income from Operations

a) Basic (Rs.)

b) Diluted (Rs.

Date : 2<sup>nd</sup> December, 2022

Net Profit' (Loss) for the period before tax

Net Profit/ (Loss) for the period after tax\*

5 Reserves excluding Revaluation Reserves

3. Information on Standalone Financial Results

Total income from operations

3 Net Profit/ (Loss) for the period after tax\*

\* includes continuing and discontinued operations

Net Profit/ (Loss) for the period before tax

Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/ (Loss) for the

period after tax and Other Comprehensive Income after tax)\*

Earnings per share (face value of Rs.10/- each) (not annualized)

6 Paid-up Equity Share Capital (face value Rs. 10 per share)

ity, had told *FE* recently that the demand for all Tata cars remains strong. "All our models are leaders in their respective segments, forming a portfolio that is rich in selections, ranging from smart trim choices to strong powertrain options," he had said. Also, while the global semiconductor shortage negatively impacted supply chains of most carmakers, Tata Motors was able to find solutions to keep the production momentum going, Chandra claimed. "The demand for SUVs is rising and Tata Motors has a great line-up in the Punch, the Nexon, the Harrier and the Safari. The Altroz premium hatchback is selling well too, and the carmaker is getting additional volumes of 3,000-4,000 units just from its EV business (which oth-

ers don't have)," an analyst who

30.09.2022

Unaudited

6,190

(1.653)

(1,187)

(1,175)

23,502

(0.50)

Quarter ended

6,059

On behalf of the Board of Directors

For Inox Green Energy Services Limited

(1,058)

30.09.2022

30.09.2022

12,369

(3,211)

(2.345)

(2,338)

23,502

 $(0.99)^{*}$ 

(Rs. in Lakh)

12,190

(2.185)

(1.433)

Half year ended

30.09.2022

Manoi Shambhu Dixit

Whole-time Director

INOX GREEN ENERGY SERVICES LIMITED

Reg. Off: Survey No. 1837 & 1834 At Moie Jetalour, 2nd Floor, Old Padra Road, Vadodara, Gujarat-390007 | CIN: U45207GJ2012PLC07027:

Telephone: +91 (265) 6198111 | Fax: +91 (265) 2310 312 | E-mail: investor@inoxgreen.com | Website: www.inoxgreen.com

**EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS** FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30™ SEPTEMBER, 2022

The above results were reviewed by the Audit Committee and were thereafter approved by the Board of Directors at its

2. The above results are an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges

(www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the Company's website (www.inpxgreen.com)

meeting held on 2rd December, 2022. The Statutory Auditors of the Company have carried out the limited review of the

under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full

format of the Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results are available on the Stock Exchanges' website

did not wish to be named told FE. But Gaurav Vangaal, associate director, Light Vehicle Forecasting, S&P Global Mobility, is of the opinion that though Tata Motors plans to bring in more car models next year, including electric, it is struggling with its launch timelines. "Hyundai India, on the other hand, is sticking to its product launch timelines, and will launch two new models in 2023, which are expected to give the Korean carmaker an advantage over others,"he said. But Tata Motors will remain

FROM THE FRONT PAGE

an electric car leader by far. Last month, it rolled out its 50,000th electric car from its Pune facility. Chandra added that celebrating the 50,000th electric car in India is a strong testament to how the carmaker's portfolio is resonating

with people across the country. "Electric cars are offering a practical solution to problems of rising fuel price and worsening pollution. Customers are now ready to welcome electric cars and we are thrilled to witness the transition from early adopters to electric cars becoming a mainstream choice for Indian customers," he said. The carmaker hopes that its electric car sales with only rise, what with it entering 80 new cities in the past few months, expanding its electric car network to more than 165 cities.

#### Oyo to fire about 600 employees

"The downsizing in tech is uct and tech areas," it added.

The IPO-bound hospitality company added that it is integrating various functions of its European vacation homes business while downsizing some parts of the business to increase efficiency and harness synergies. The company has also reassessed its corporate headquarter base afresh and is merging congruent roles and flatten ing team structures.

"We will be doing all that we can to ensure that most people we are having to let go are gainfully employed. Every member of the Oyo team and I myself will proactively endorse the strength of each of these employees. It is unfortunate that we are having to part ways with a lot of these talented indi-

reaching out to them first and offering them the opportunity," said Ritesh Agarwal, founder and group CEO in a statement on Saturday. Layoffs at the hospitality unicorn come at a time when it is reportedly looking to go public in 2023. Oyo had filed a draft red herring prospectus (DRHP) with Sebi last year in October to raise ₹8,430 crore, but later scrapped the plan. The IPObound company is said to be targeting a public issue in 2023 even as unfavourable market conditions threaten the startup

enues to ₹2,904.62 crore, while

narrowing its losses to ₹747.13

crore in the first half of the

financial year 2023 (H1FY23).

The hospitality unicorn, how-

ever, reported a positive

adjusted Ebitda of ₹62.93 crore

in H1FY23 compared to a nega-

tive Ebitda of ₹280.36 crore in

last year. From a few hundred

hotels when it started 2013, Oyo

has gone on to cover more than

period

same

the

## industry. In a fresh addendum to its draft IPO filed with market regulator Sebi last week, Oyo reported a 24% YoY rise in rev-

also happening in teams that were developing pilots and proof of concepts such as in-app gaming, social content curation and patron-facilitated content. Additionally, members of projects that have now been successfully developed and deployed such as 'partner SaaS' are being either let go or are being redeployed in core prod-

800 cities as of 2019, as per an earlier statement. Prior to the pandemic, a public statement from Oyo in June 2019 showed that it had around 23,000 hotels, 850,000 rooms, and 46,000 vacation homes in more than 800 cities, including the US, southeast Asia and Europe. So farin 2022, new-age startups in India have axed close to 16,000 jobs, with predictions that the number would increase further by the end of this year While companies across sectors have cut jobs, edtech firms have been particularly hit as demand

for online education wanes.

Edtech startups like BYJU'S,

Vedantu and Unacademy have

#### already slashed 6,500 jobs. 'CBDC could be a game changer'

Banks should be alert in adoption of technology, as what seems to be a small part of the business might come to change the entire system, he said. Sankar cited the case of the hugely popular UPI, where a bulk of the business is owned by non-banking entities because banks missed the bus by not investing in the change from early on. "When a revolutionary technology comes up, it might initially affect a small part of business. Scaling that up, improvising and innovating on that to affect the rest of the business is just one small step away. You miss the first step, you miss the train," Sankar said, adding, "Clearly, banks missed a step here. Probably, the feeling was that these small-value transactions might be relatively too insignificant a bill to put your

misconception to view fintech entities as a possible replacement to banks, stressing that these modern-age enterprises facilitate banking and are not a competition to banks in anyway.

resources and effort into to

develop the necessary technol-

banking is mutating fast,

"Banks are here to stay, but

ogy and internal ecosystem."

Sankar said, adding that it's a Managing Director and CEO

Dr. Pawan Singh

# PTC India Financial Services Limited

	Particulars	Standalone			(₹ in lakhs Consolidated				
S.No.		The state of the s			Year ended				Year ended
		Unaudited 30.06.2022	Audited (refer note 1 below) 31.03.2022	Makangaran sanah milay	Audited 31.03. 2022	Unaudited 30.06.2022	Audited (refer note 1 below) 31.03.2022	Unaudited 30.06.2021	Audited 31.03.2022
1	Total income from operations	20,699.57	22,809.94	25,394.18	95,287.79	20,699.57	22,809.94	25,394.18	95,287.79
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	6,767.23	3,352.51	6,093.01	17,391.22	6,767.23	3,352.51	6,093.01	17,391.22
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	6,767.23	3,352.51	6,093.01	17,391.22	6,767.23	3,352.51	6,093.01	17,391.22
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	5,056.40	2,498.03	4,560.33	12,998.48	5,056.40	2,498.03	4,560.33	12,998.48
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	5,098.20	2,498.72	5,823.87	13,931.93	5,098.20	2,498.72	5,823.87	13,931.93
6	Equity Share Capital	64,228.33	64,228.33	64,228.33	64,228.33	64,228.33	64,228.33	64,228.33	64,228.33
7	Reserves (excluding revaluation reserves as per balance sheet)	1,62,158.96 ( as At 31.03.2022) 1,62,158.96 ( as At 3			31.03.2022)				
8	Earnings per share (not annualised) (Face value ₹ 10 per share) in ₹ - Basic - Diluted	0.79 0.79	0.39 0.39	0.71 0.71	2.02 2.02	0.79 0.79	0.39	0.71 0.71	2.02

NOTES:1: The figures for the quarter ended March 31, 2022 are the balancing figures between the audited figures in respect of the full year and the unaudited published figures upto the third quarter ended December 31, 2021.

The above is an extract of the detailed format of unaudited financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 and Regulation 52 of the Note: SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited financial results is available on the Stock Exchange websites of NSE and BSE at www.nseindia.com and www.bseindia.com respectively and Company's website at http://www.ptcfinancial.com/financialinformation.html.

For and on behalf of the Board of Directors

Place: New Delhi Date: December 3, 2022

(CIN: L65999DL2006PLC153373)

Registered Office: 7th Floor, Telephone Exchange Building, 8 Bhikaji Cama Place, New Delhi - 110066, India Board: +91 11 26737300 / 26737400 Fax: 26737373 / 26737374 Website: www.ptcfinancial.com, E-mail: info@ptcfinancial.com

 🕽 बैंक ऑफ़ बहीदा

Bank of Baroda

france ID COM

1. आई—1301, मैपल क्रेसेंट, सुशांत लोक, फेज—1, गुड़गांव, हरियाणा—122001

संदर्भ : श्रीमती केया सेन मित्रा को स्वीकृत ऋण सुविधाओं हेतु आपकी गारंटी।

2. फ्लैट सं. 1803, अमनोरा पार्क टॉउन, अमनोरा मॉल मगरपट्टा के समीप, हदप्सर, महाराष्ट्र—411028

दायित्व को प्रतिभूत करने के लिए आपने हमें निम्नलिखित प्रतिभूतियां भी उपलब्ध करायी थीं

अवस्थित आवासीय संपत्ति का साम्यिक बंधक (टीपीए दिनांकित 11-01-2016)।

अनुपालन न करना, अधिनियम की धारा 29 के तहत एक दंडनीय अपराध है।

में विनिर्दिष्ट दरों पर ब्याज निरंतर प्रोद्भृत होता रहेगा।

को स्वतंत्र होंगे, जिसका संज्ञान कृपया अवश्य लें।

COURT NOTICE The Court Of Ms. Divya Sharma JMIC Date: 09-01-2023 next date, purpose of case, orders and judgments as well as other case information is available on http://districts.ecourts.gov.in/ludhiana Kotak Mahindra Bank Ltd Mohammad Junaid

CNR NO: PBLD03-002105-2019 Publication Issued To: Mohammad Junaid Address- S/o Mohammad Kadir R/o House No 8, Takhatpur, P.s. Kotwali, Sambhal 244301

Whereas it has proved to the satisafction

of this court that you, the above named accused/accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear in person or through counsel on 09-01-2023 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in case default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as

per law, in your absence, for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district notice&district=ludhiana JMIC Ludhiana

COURT NOTICE In The Court Of Ms. Divya Sharma JMIC

next date, purpose of case, orders and judgments as well as other case information is available on http://districts.ecourts.gov.in/ludhiana Kotak Mahindra Bank Ltd Furkan

CNR NO: PBLD03-036042-2019 Date: 05-01-2023

Publication Issued To: Furkan Address-S/o Shamshad R/o 391 Sufi Tola Road City Bareilly 243002

Whereas it has proved to the satisafction of this court that you, the above named accused/accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear in person or through counsel on 05-01-2023 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in case default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence, for details logon

to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district

🕽 बेंक ऑफ़ बहोदा Bank of Baroda - Control on State

notice&district=ludhiana

आरओएसएआरबी (दक्षिणी दिल्ली) बैंक ऑफ बड़ौदा भवन, द्वितीय तल, 16 संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001, भारत दूरभाष सं. +91-11.23441118, ईमेलः sardel@bankofbaroda.com

के प्रकाशन के बाद, प्रतिभूत परिसंपत्तियों को बंधकमुक्त करने का आपका अधिकार समाप्त हो जाएगा

उधारकर्ता को सूचना - ।सरफॉएसि अधिनियम 2002 की धारा 13 की उप-धारा (2) के अंतर्गत।

आपका विश्वासपात्र, प्राधिकृत अधिकारी

श्रीमती केया सेन मित्रा पत्नी पिनाकी मित्रा–उधारकर्ता

1. आई—1301, मैपल क्रेसेंट, सुशांत लोक, फेज—1, गुडगांव, हरियाणा—122001

ब्याज की दरें

2. फ्लैट सं. 1803, अमनोरा पार्क टॉउन, अमनोरा मॉल मगरपट्टा के समीप, हदप्सर, महाराष्ट्र—411028

संदर्भ : हमारी भोगल शाखा के साथ ऋण सुविधायें। खाता सं.: 82770600000416

ा. हम अपने पत्रांकः बीओबी ∕ एडीवी दिनांकित 05.01.2016 का संदर्भ देते हैं, जिसमें अनेक ऋण सुविधाओं की स्वीकृति और स्वीकृति की शर्ते बताई गई हैं। उपरोक्त स्वीकृति के अनुसार, आपने यहां इसमें इसके उपरांत उल्लेखित उक्त स्वीकृत ऋणों के लिए प्रतिभूति प्रदान करने के बाद ऋण सुविधाएं प्राप्त कीं और उनका उपयोग करना प्रारंभ कर दिया। विभिन्न ऋण / ऋण सुविधा खातों में वर्तमान बकाया और ऐसी देयता के लिए सुजित प्रतिभृति हितों का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत है:

नेम्नानुसार बकाया (31—10—2022

	अकात एवं अकार	(6.)		तक ब्याज साहत)	प्रातपूर्व अनुवय
	बड़ौदा आवास	₹.	फ्लोटिंग विकल्प के साथ, मासिक शेष		श्रीमती केया सेन मित्रा के नाम पर जीएच–02,
ı	ऋण	1,00,00,000 / -	के साथ बेस रेट वार्षिक से 0.25%	+ जैसे एवं जब प्रभारित	सेक्टर—41, फरीदाबाद, हरियाणा पर राइज स्काई बंगले
١			अधिक (बैंक द्वारा जैसे एवं जब किये	होनेवाला ब्याज + अन्य शुल्क	में स्थित अपार्टमेंट नं. वीएस—4 / बंगला नं. 11, 11वां
١			जानेवाले संशोधन के अधीन) जैसे एवं	+ व्यय (तिथि के अनुसार शेष	तल, टॉवर वीएस–4 में अवस्थित आवासीय संपत्ति का
			जब प्रयोज्य 2% दांडिक ब्याज जोड़कर	रु. 1,05,77,389.09 है)	टीपीए दिनांकित 11—01—2016
1	० जन्म की माननी	के एक दिलांकि	न ०० ०४ २०४६ में अमाने जैसे महं जन भी	क्रमानि होनेसने कामों और का	ज और अन्य शूल्कों के साथ रु. 1,00,00,000.00
П					
١	(रुपये एक करो	ड़ मात्र) के बराबर	ए की एक राशि हेतु बैंक के प्रति निर्धारित अ	ापने दायित्व को स्वीकार किया था	। उपरोक्त उल्लेखित बकाया राशि में 21—11—2022
- 1	\ 0		0 0 4		

जैसा कि आप अवगत हैं ही कि आपने दिसंबर 2019 को समाप्त तिमाही के उपरोक्त ऋणों पर निर्धारित ब्याज का भुगतान करने में त्रुटियां कर दी हैं।

आपके द्वारा की गई त्रुटियों के परिणामस्वरूप, आपके ऋण खाते को भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों और दिशानिर्देशों के अनुसार 29-02-2020 को अनिष्पादनीय परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। हमारे बार–बार किये गये अनुरोधों और मांगों के उपरांत भी आपने अतिदेय ऋणों तथा उन पर नियत ब्याज का उपरोक्त पैरा 1 में उल्लिखित विभिन्न प्रतिभृतियों द्वारा विधिवत प्रतिभृतकृत ऋण सुविधाओं के संदर्भ में अपनी नियत देनदारियां पूरी करने में आपकी असमर्थता

और आपके खाते का एक अनिष्पादनीय परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकरण होने के संबंध में, हम एतदद्वारा वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (यहां इसमें इसके उपरांत अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 13 की उप–धारा (2) के अंतर्गत आपको सूचित करते हैं और आपको निर्देश देते हैं कि आप इस सूचना की तिथि से 60 दिवसों के अंदर, उपरोक्त पैरा 1 में उल्लिखितानुसार बैंक के प्रति नियत अपनी कुल र 1,05,77,389.09 (रुपये एक करोड़ पांच लाख सतहत्तर हजार तीन सी नवासी एवं नी पैसे मात्र) और जैसे एवं जब भी प्रभारित होनेवाले ब्याज एवं अन्य शुल्को एवं व्ययों की देनदारियों का पूरा भुगतान करके अपने भुगतान–दायित्वों का निर्वहन करें। हम आपको पुनः सूचित करते हैं कि भुगतान की तिथि तक आकलित ब्याज सहित उपरोक्त राशि का भूगतान करने में विफल रहने पर, हम उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत सभी या किसी भी एक अधिकार का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होंगे। कृपया ध्यान दें कि जब तक पूरा भुगतान नहीं हो जाता, तब तक प्रत्येक ऋण सुविधा के लिये ऊपर पैरा 1 में विनिर्दिष्ट दरों पर ब्याज निरंतर प्रोदभूत होता

हम आपका ध्यान उक्त अधिनियम की उप–धारा 13 की ओर आकृष्ट करते हैं, जिसके अनुसार आपको उपरोक्त पैरा 1 में संदर्भित किसी भी प्रतिभूत परिसंपत्ति को

हमारी पूर्व लिखित सहमति प्राप्त किए बिना बिक्री, पट्टे के माध्यम से अथवा अन्यथा (व्यवसाय के साधारणानुक्रम के अतिरिक्त अन्य अनुक्रम में) हस्तांतरित करने

से प्रतिबंधित किया जाता है। इस सूचना में यह जानकारी भी है कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) में निहित उपरोक्त प्रावधान का अनुपालन न करना, अधिनियम हम आगे आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) की ओर आकुष्ट करते हैं, जिसके अनुसार आप उस स्थिति में प्रतिभुत परिसंपत्तियों को

बंधकमुक्त कर सकते हैं, जब जिस स्थिति में आप सार्वजनिक नीलामी / कोटेशन आमंत्रण / निविदा / निजी संधि के लिए सूचना के प्रकाशन की तिथि से पूर्व किसी भी समय, बैंक द्वारा वहन की गई सभी लागतों, शुल्कों और व्ययों के साथ बकाया देयराशियां का भुगतान कर देते हैं। कृपया ध्यान दें कि उपरोक्तानुसार सूचना के प्रकाशन के बाद, प्रतिभृत परिसंपत्तियों को बंधकमुक्त करने का आपका अधिकार समाप्त हो जायेगा। कृपया ध्यान दें कि यह मांग सूचना पूर्वाग्रह के बिना है और इसे हमारे पास उपलब्ध / विद्यमान उस किसी भी अन्य अधिकार या उपचार के अधित्याग के रूप रे

नहीं माना जायेगा, जिसमें हमारे पास अपनी बकाया राशि के संबंध में, सीमा रहित होकर, पुन:-पुनः बकाया भूगतान की मांग करने का अधिकार सम्मिलित है।

## जेके इंटरप्राइजेज लिमिटेड (सीआईएन: L99999UP1961PLC001187)

पंजीकृत कार्यालयः कमला टाँवर, कानपुर - 208 001 (भारत)

फोन नंबर 91 512 2371478-81 फैक्स: 91 512 2332665 ई-मैल : cs@jaykayenterprises.com; वेबसाइट : www.jaykayenterprises.com

### पोस्टल बैलट सूचना

कंपनी के सदस्यों को एतहारा सुचित किया जाता है कि कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 108 और धारा 110, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, संख्या 22/2020 दिनांक 15 जून, 2020, संख्या 33/2020 दिनांक 28 सितंबर, 2020, संख्या 39/2020, दिनांक 31 दिसंबर, 2020, संख्या 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021, संख्या 10/2021 दिनांक 23 जून, 2021, संख्या 20/2021 दिनांक 8 दिसंबर, 2021 और संख्या 03/2022 दिनांक 5 मई, 2022 ('एमसीए परिपत्र'), और अन्य लागू प्रावधान, जिसमें तत्कालीन लागू किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन शामिल हैं, के अनुसार कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 110 के साथ पठित धारा 102 के प्रावधानों के तहत व्याख्यात्मक विवरण सहित पोस्टल बैलट नोटिस दिनांक 14 नवंबर, 2022 में निर्दिष्ट संकल्प पर पोस्टल बैलेट प्रक्रिया (रिमोट ई-वोटिंग) के माध्यम से सदस्यों की स्वीकृति चाहती है।

उपरोक्त एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में पोस्टल बैलट की सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रति उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेजी गई है जिनके ई-मेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं और जिनके नाम कट-ऑफ दिनांक यानी 25 नवंबर, 2022 को कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज हैं।

जिन सदस्यों का ईमेल पता डीपी या कंपनी के पास पंजीकृत नहीं है, उनसे अनुरोध है कि वे नीचे दिए गए निर्देशों का पालन

करते हुए नोटिस और लॉगिन क्रेडेंशियल प्राप्त करने के लिए अपना ईमेल पता पंजीकृत करें: भौतिक शेयरधारकों के लिए- कृपया आवश्यक विवरण जैसे फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की हुई प्रति (आगे और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन की हुई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वप्रमाणित

स्कैन की हुई प्रति) प्रदान करते हुए कंपनी या आरटीए के पास क्रमशः ईमेल आईडी cs@jaykayenterpises.com या आरटीए को iksingla@alankit.com पर ईमेल हारा भेजें। डीमैट शेयरधारकों के लिए - कृपया अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट

(डीपी) के साथ अपडेट करें।

 व्यक्तिगत डीमैट शेयरधारकों के लिए - कपया अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के साथ अपडेट करें जो ई-वोटिंग के समय अनिवार्य है।

सदस्य ध्यान दें कि पोस्टल बैलट की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.jaykayenterprises.com और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट यानी www.bseindia.com और सेंट्रल डिपॉजिटरी सविंसेज लिमिटेड की वेबसाइट यानी www.evotigindia.com पर भी उपलब्ध है।

कंपनी के सदस्यों को एतद्वारा सुचित किया जाता है कि:


1. सदस्यों के मतदान के अधिकार की गणना 25 नवंबर, 2022 को कट ऑफ तिथि पर उनके द्वारा धारित इक्विटी शेयरों के अनुपात में की जाएगी।

2. कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों के अनुपालन में, समय-समय पर संशोधित, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम , 2015 के विनियम 44 और सूचीबद्ध संस्थाओं हारा प्रदान की जाने वाली ई-वोटिंग सुविधा के संबंध में सेबी परिपत्र संख्या सेबी/ एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/242 दिनांक 9 दिसंबर, 2020 के अनुसार, सदस्यों को नोटिस में दिए गए संकल्प (संकल्पों) पर सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड हारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सेवाओं के माध्यम से अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से डालने की सुविधा प्रदान की जा रही है। पोस्टल बैलेट नोटिस में रिमोट ई-वोटिंग के निर्देश विस्तार से दिए गए हैं।

3. रिमोट ई-वोटिंग की अवधि मंगलवार, 06 दिसंबर, 2022 (सुबह 9.00 बजे) से शुरू होगी और बुधवार, 04 जनवरी, 2023 (शाम 5.00 बजे) को समाप्त होगी, इसके बाद रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल सीडीएसएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा। 4. कंपनी ने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से रिमोट ई-बोटिंग प्रक्रिया की जांच करने के लिए सीएस हेमंत कुमार सजनानी, कंपनी

सचिव, सदस्यता संख्या एफसीएस 7348 और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नंबर 14214 को नियक्त किया है। 5. पोस्टल बैलेट के परिणाम की घोषणा रिमोट ई-वोटिंग के समापन के 2 कार्य दिवसों के भीतर की जायेगी और इसे कंपनी

की वेबसाइट www.javkaventerprises.com पर सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पोर्टल www.bseindia.com पर अपलोड किया जाएगा। बोर्ड के आदेशानुसार



www.readwhere.com

(अभिषेक पाण्डेय) कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी सदस्यता संख्या एसीएस-21958

हस्ता./-

इंडियन बैंक 🔼 Indian Bank

पहाडगंज, नई दिल्ली 1855, वजीर सिंह स्ट्रीट, चुना मंडी पहाडगंज ्रूरमाण:(011) 40046202, ई-मेल: P513@indianbank.co.in

परिशिष्ट-IV, नियम 8(1) कब्जा सूचना (अचल समत्ति हेत्) जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन इंडियन बैंक, का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 और 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हमारी पहाड़गंज शाखा के कर्जदार मैसर्स एक्सल इंटरप्राईजेज को एक मांग सूचना दिनांक 24.06.2022 को जारी की गयी थी जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि रु. 1,24,74,649.90 (रु. एक करोड चौबीस लाख चौहत्तर हजार छ: सौ उनचास और पैसे नब्बे मात्र) और दिनांक 24.06.2022 से पूर्ण चुकौती की तिथि तक भविष्य का ब्याज इत्यादि उक्त सूचना की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

कर्जदार उक्त राशि का भूगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतदद्वारा कर्जदार तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इंडियन बैंक के अधोहस्ताक्षरी ने सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में नीचे वर्णित संपत्ति पर दिनांक 02.12.2022 को कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से कर्जदार तथा सामान्य रूप से जनसाधारण को एतदद्वारा उक्त संपत्तियो के साथ लेन–देन न करने के लिए साक्यान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन इंडियन बैंक के प्रभार वास्ते बकाया राशि रु. 1,32,78,796/- दिनांक 02.12.2022 तक और भविष्य का

ब्याज, लागत, प्रभार एवं खर्चे इत्यादि सहित के अधीन होगा। हम कर्जदारों का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत स्रक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि फ्लैट नं. 5, सम्पत्ति नं. 2384–86, द्वितीय तल, बिना छत के अधिकार के, तिलक गली, पहाडगंज, दिल्ली–110055 में स्थित, यह सम्पत्ति राकेश शुक्ला के नाम पर है। चौहदी : उत्तर में – अन्य की सम्पत्ति, दक्षिण में – फ्लैट नं. 6, पूरव में -15फीट चौडी रोड, पश्चिम में – फ्लैट नं, 7

दिनांक : 02.12.2022, स्थान : नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, इंडियन बैंक

बीओ: जीटीबी नगर, दिल्ली-9 (डीपी कोड-19033) orei 🕪 Canara Bank 📣 ईमेल: cb19033@canarabank.com कब्जा सूचन [धारा 13(4)] (अचल सम्पत्ति के लिए)

**जैसा कि**, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (2002 के अधिनियम 54) (यहां के बाद ''अधिनियम'' वर्णित) के अंतर्गत केनरा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धार 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 19.9.2022 जारी कर ऋणधारक श्री राजन प्रभाकरण (ऋणधारक), श्रीमती नृतन प्रभाकरण (गारंटर) तथा १ प्रवीण कुमार लाभ (गारंटर) को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 4,35,317.85 (रु. चार लाख पैंतीस हजार तीन सौ सत्तरह पैसे पचासी मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 1 सितम्बर, 2022 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम एवं 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतदद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 4.35.317.85 (रु. चार लाख पैंतीस हजार तीन सौ सत्तरह पैसे पचासी मात्र) तथा उस पर ब्याज के लिए केनरा बैंक के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ मे अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

#### अचल सम्पत्ति का विवरण

सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्साः बी-7/165, सम्पूर्ण प्रथम तल, छत के अधिकार के बिना, पॉकेट-7, सेक्टर-3 रोहिणी, दिल्ली-110085 तथा सं. बी-7/166, सम्पूर्ण प्रथम तल, छत के अधिकार के बिना, पॉकेट-7, सेक्टर-3 रोहिणी, दिल्ली-110085, चौहद्दीः उत्तरः अन्य, दक्षिणः अन्य, पूर्वः अन्य, पश्चिमः अन्य

तिथि: 1.12.2022, स्थान: दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक



कौशाम्बी शाखा, १७-१८, ऊपरी भूतल, शिप्रा कृष्णा अजूर, कौशांबी गाजियाबाद **ਪਤੀਗ ਗੰ.** 0120-2771971, 4123568

e-mail-kaumor@bankofbaroda.com कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु) नियम 8(1)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित अधिनियम 2002 (2002 का 54) के प्रवर्तन के अधीन **बैंक ऑफ़ बड़ौदा, का** प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत ऋण धारक **मैसर्स एडलर डिजाइन एंड स्ट्रक्चर (प्रोप: शिखा** अरोड़ा) को दिनांक 25.03.2022 को मांग सूचना जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि रू 12,87,115.00 (रु. बारह लाख सत्तासी हजार एक सौ पदंह मात्र) दिनांक 25.03.2022 तक (दिनांक 25.03.2022 तक व्याज की गणना) और साथ में अनापेक्षित व्याज / अन्य प्रभार इत्यादि सहित उक्त सूथना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को

ऋणधारक राशि का प्रतिभुगतान करने में असफल हो गये हैं, इसलिए एतदहारा ऋणधारक और गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का भौतिक कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियम 2002 के नियम 8 वं साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत 29,11,2022 को लिया है। विशेष रूप से ऋणधारक / गारंटर तथा जनसाधारण को एतदद्वारा उक्त संपत्तियों के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन **वैंक ऑफ़ बड़ौदा, के प्रभार वास्ते** रू 12,87,115.00 (रु. बारह लाख सत्तासी हजार एक सौ प्रदंह मात्र) दिनांक 25.03.2022 तक और साथ में अनापेक्षित ब्याज / अन्य प्रभार इत्यादि सहित पूर्ण बुकौती की तिथि तक उक्त सुचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भगतान करने ऋणधारक का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित

परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेत् उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

संपत्ति का विवरण

साम्यिक बंधक रिहायशी सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि ए-3/1101 ओलिव काउंटी, सेक्टर—5, वसुंधरा गाजियाबाद, यूपी—201012 में स्थित

दिनांक : 29.11.2022, स्थान : गाजियाबाद प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बडौदा

9) Bank of Baroda free Document

कोशाम्बी शाखा, १७-१८, ऊपरी मुतल, र) बैंक ऑफ़ बहोदा शिप्रा कृष्णा अजूर, कौशांबी गाजियाबाद **ਪਤੀਰਾ ਹਾਂ.** 0120-2771971, 4123568 e-mail-kaumor@bankofbaroda.com

#### कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु) नियम 8(1)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित अधिनियम 2002 (2002 का 54) के प्रवर्तन के अधीन **बैंक ऑफ़ बड़ौदा, का** प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पवित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत गारंटर श्री ऋषि कपूर पुत्र शिव कपूर, कर्जदार मैसर्स एडलर **डिजाइन एंड स्ट्रक्चर (प्रोप: शिखा अरोड़ा)** को दिनांक 2503.2022 को मांग सूचना जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि रू 12,87,115.00 (रु. बारह लाख सत्तासी हजार एक सी पदंह मात्र) दिनांक 25.03.2022 तक (दिनांक 25.03.2022 तक ब्याज की गणना) और साथ में अनापेक्षित ब्याज / अन्य प्रभार इत्यादि सहित उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के

अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था। ऋणधारक राशि का प्रतिभुगतान करने में असफल हो गये हैं, इसलिए एतदद्वारा ऋणधारक और गारंटर तथा आम जनता को सुचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का भौतिक कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत 29.11.2022 को लिया है। विशेष रूप से ऋणधारक / गारंटर तथा जनसाधारण को एतदद्वारा उक्त संपत्तियों के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन बैंक ऑफ़ बड़ौदा, के प्रभार वास्ते रू 12,87,115.00 (रु. बारह लाख सत्तासी हजार एक सौ पदंह मात्र) दिनांक 25.03.2022 तक और साथ में अनापेक्षित ब्याज / अन्य प्रभार इत्यादि सहित पूर्ण चुकौती की तिथि तक उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भगतान करने

ऋणधारक का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेत् उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

संपत्ति का विवरण

साम्यिक बंधक रिहायशी सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि ए-3/1101, ओलिव काउंटी, सेक्टर—5, वस्ंधरा गाजियाबाद, यूपी—201012 में स्थित प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बडौदा

कब्जा सूचना

अनुसार बकाया रकम

TO 42,71,664.40

से + कानुनी एवं अन्य खर्चै।

五0 25,79,280.36

+ प्रभावी ब्याज + कानुनी

एवं अन्य खर्चे।

**50 19,19,321.31** 

ब्याज दिनांक 01.07.2022

से + अन्य खर्चे।

**も0 11,15,229.00** 

दिनांक 01.04.2021 से

ब्याज दिनांक 01.09.2022

दिनांक : 29.11.2022, स्थान : गाजियाबाद

चंजाब नैशनल बैंक 🔘 punjab national bank

(सी) ऋणी का नाम व पता

(अचल / चल सम्पत्ति के लिए) (नियम–8(1))

की तिथि

(बी) सांकेतिक कब्जे

की तिषि

जबकि, पंजाब नैशनल बैंक की तरफ से प्राधिकृत अधिकारी ने सिक्युरिटाईजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाइनेशियल एसेट्स एण्ड इनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग मे सिक्पोरिटी इंटरेस्ट 2002 के साथ 60 दिनों के भीतर नोटिस में निहित रकम की अदायगी हेतु एक डिमांड नोटिस जारी किया था। ऋणी के द्वारा रकम की अदायगी न करने के कारण निम्नलिखित ऋणकर्ता एवं जन साधारण को नोटिस दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रत्येक खाते के समक्ष अंकित तिथि को उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अन्तर्गत प्रदल्त शक्तियों के प्रयोग में अधीलिखित सम्पत्ति का **सांकेतिक कब्जा** ले लिया है। विशेषतः ऋणी एवं जन साधारण को एतदु द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे संबंधित परिसम्पत्ति की खरीद फरोख्त न करें तथा इन परिसम्पत्ति के किसी भी कय विक्रय के लिए यहाँ नीचे खाते के समक्ष रकम उस पर देय व्याज के लिए पंजाब नैशनल बैंक के प्रभार अधीन होंगे। कर्जदार/गारन्टर/बंधककर्ता का ध्यान, प्रत्याभृत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है (ए) शाखा का नाम/(बी) खाता का नाम/ मांग नोटिस के

	मसस न्यू न्यू प्रिट पलस (ऋणा), पता 1: 2/37, सन्ट्रल माकट, शास्त्रा नगर, मरठ, उत्तर प्रदेश- 250001, पता 2: मकान नं0 212/1, सेक्टर-1, स्कीम नं0 7, शास्त्री नगर, मेरठ- 250001, पता 3: 46, लक्ष्मी नगर, सुरज कुंड रोड, मेरठ, पता 4: मकान नं0 211/5, शास्त्री नगर, मेरठ- 250002, श्री मनोज सक्सैना पुत्र स्व0 श्री संत लाल सक्सैना (प्रो0) (ऋणी), पता 1: 2/37, सेन्ट्रल मार्किट, शास्त्री नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश- 250001, पता 2: मकान नं0 212/1, सेक्टर-1, स्कीम नं0 7, शास्त्री नगर, मेरठ- 250001, पता 3: 46, लक्ष्मी नगर, सुरज कुंड रोड, मेरठ, पता 4: मकान नं0 211/5, शास्त्री नगर, मेरठ- 250002, श्रीमती सीमा सक्सैना पत्नी श्री मनोज सक्सैना (सह-ऋणी), पता 1: मकान नं0 212/1, सेक्टर-1, स्कीम नं0 7, शास्त्री नगर, मेरठ- 250001, पता 2: 2/37, सेन्ट्रन मार्किट, शास्त्री नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश-250001, पता 3: 46, लक्ष्मी नगर, सुरज कुंड रोड, मेरठ। पता 4: मकान नं0 211/5, शास्त्री नगर, मेरठ- 250002
2.	(ए) शाखाः कंकरखेडा, मेरठ श्री मनोज कुमार चीहान पुत्र श्री बालेश्वर (ऋणी + बंधककती), पता 1: 61-सी, अप्यू एन्क्लेव, मोदीपुरम, मेरठ। पता 2: 302/11, भारत विहार, मोदीपुरम, मेरठ। पता 3: पलैट नं0 61, द्वितीय तल, ग्रेटर अप्यू एन्क्लेव, एनएच-58, ग्राम- मुकरबपुर, पल्हेड़ा, परगना- दौराला, तहसील- सरधना, जिला- मेरठ। श्रीमती आशा चौहान पत्नी श्री मनोज कुमार चीहान (बंधककर्ता + ऋणी), पता 1: 61-सी, अप्यू एन्क्लेव, मोदीपुरम, मेरठ। पता 2: 302/11, भारत विहार, मोदीपुरम, मेरठ। पता 3: फ्लैट नं0 61, द्वितीय तल, ग्रेटर अप्यू एन्क्लेव, एनएच-58, ग्राम- मुकरबपुर, पल्हेड़ा, परगना- दौराला, तहसील- सरधना, जिला- मेरठ। श्रीमती रीना ठाकुर पत्नी श्री मुकेश ठाकुर (गारन्टर), पता 1: ग्राम- मतीर, परगना दौराला, जिला- मेरठ। श्री मुकेश ठाकुर पुत्र श्री धर्मवीर सिंह (गारन्टर), पता 1: ग्राम- मतीर, परगना दौराला, जिला- मेरठ- 250221,

3. (ए) शाखाः मोदीपुरम, मेरठ श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री नानकचंद (ऋणी), पताः मकान नं0 125, कसेरू बक्सर, मवाना रोड, रजपुरा, मेरट पाकेट-ओपी, गंगा नगर, मवाना, मेरट, माप क्षेत्रफल 180 (वी) 02.12.2022 (उ०प्र0)- 250001, श्री शंशाक शर्मा पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा (सह-ऋणी), पताः मकान नं0 125, कसेरू बक्सर, मवाना रोड, रजपुरा, मेरठ (उ०प्र०)- 250001, श्रीमती कलावती पत्नी स्व श्री नानक चंद (गारन्टर + बंधककर्ता), पता 1: मकान नं0 111, कसेरू वक्सर, मवाना रोड, रजपुरा, मेरठ- 250001, पता 2: मकान नं0 125, कसेरू बक्सर, मवाना रोड, रजपुरा, मेरठ- 250001

4. (ए) शाखाः दिल्ली रोड वडीत श्री विकास पंचाल पुत्र विनोद कुमार पंचाल (ऋणी), पताः 7/503, गगन विहार, गुराना रोड, विजय नगर बड़ौत, जिला- बागपत, उत्तर प्रदेश- 250611, श्री कंवर पाल सिंह पुत्र सेवा राम (गारन्टर), पताः ७/503, गगन विहार, गुराना रोड, विजय नगर बड़ीत, जिला- बागपत, उत्तर प्रदेश- 250611,

 (ए) शाखाः बडीत, बागपत, मेरट मैसर्स फरीदा ट्रेडर्स (प्रो0 श्रीमती फरीदा पत्नी श्री मिददा) (ऋणी + बंधककती), पता 1: मकान नं0 307, सर्कुलर रोड, पट्टी चीधरण, बड़ीत, बागपत- 250611, पता 2: मकान नं0 15/207, पट्टी चीधरण सर्कुलर रोड, निकट छपरीली चुंगी परगना बड़ीत, बागपत- 250611, श्रीमती फरीदा पत्नी श्री मिद्दा (ऋणी + बंधककर्ता),

पता 1: मकान नं0 307, सर्कुलर रोड, पट्टी चौधरण, बड़ौत, बागपत- 250611, पता 2: मकान नं0 15/207, पट्टी चौधरण सर्कुलर रोड, निकट छपरौली चुंगी परगना बड़ौत, बागपत- 250611, श्री नसीम पुत्र श्री मिड्डा (गारन्टर), पता 1: मकान नं0 307, सर्कुलर रोड, पट्टी चौथरण, बड़ौत, बागपत- 250611, पता 2: निकट शेर 116, जिल्द नं0 2223, पेज नं0 369-372, क्र0सं0 1771, मार्किट सरधना रोड कंकरखेडा, मेरठ-250001 नं0 2313, पेज नं0 33, जिल्द नं0 2325, पेज नं0 49-52, क्र0सं0 1543 पर पंजीकृत है।)

6. (ए) शाखाः मंगल पांडेय नगर, मेरट श्री विशाल सिंघल पुत्र श्री राजन सिंघल (ऋणी + बंधककर्ता), पता 1: 232, ओम नगर, गली नं0 1, कंकरखेड़ा मेरठ- 250001, पता 2: निकट शेर मार्किट, सरधना रोड, कंकरखेड़ा, मेरठ- 250001, पता 3: भूतल, दुकान खसरा नं0 32 (मेन सरधना रोड) मीहल्ला- बद्रीपुरम, कंकरखेड़ा, ग्राम- दंताल मेरट- 250001, श्रीमती राजन

250001, पता 2: निकट शेर मार्किट, सरधना रोड, कंकरखेडा, मेरठ- 250001, 7. (ए) शाखाः स्पोटर्स कॉम्प्लैक्स मेरठ श्री दीपेन्द्र जैन पुत्र श्री मुलचंद जैन (ऋणी), पताः 791, ब्रह्मपुरी, निकट विश्व केवल, शास्त्री की कोठी, मेरठ-250002, श्रीमती शोभा जैन पत्नी श्री दीपेन्द्र जैन (सह-ऋणी), पताः 791, ब्रह्मपुरी, निकट विश्व केवल, शास्त्री की कोठी, मेरठ- 250002, श्री विनय गुप्ता (गारन्टर), पताः 310/11 शास्त्री नगर, मेरठ- 250004, श्रीमती

विमला देवी पत्नी राजेन्द्र प्रसाद (गारन्टर), पताः 1732, ब्रहमपुरी, मेरठ- 250002

8. (ए) शाखाः गढ रोड, मेरठ मैसर्स अपना भोजनालय (प्रीपराइटर) (ऋणी), पताः निकट महिला पुलिस थाना, निकट एमडीए ऑफिस मेरठ उ०प्र०- 250002, श्री रमेश चन्द्र पटेल उर्फ रमेश चन्द्र सावंत पुत्र स्व0 थी शिव नाथ पटेल (प्रीपराइटर + बंधककता), पता 1: 100/4, भोपाल विहार गढ़ रोड, मेरट- 250002, पता 2: नालंदा कॉलोनी संजय विहार गढ़ रोड, मेरठ, एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज, मेरठ, उ०९०-250004, श्रीमती प्रमिला देवी पत्नी पत्नी रमेश चन्द पटेल (गारन्टर), पता 1: 100/4, भोपाल विहार, गढ़ रोड, मेरट- 250002, 42 फीट 6 इंच/ संजय विहार, दक्षिण: 42 फीट 6 इंच/

पता 2: नालंदा कॉलोनी संजय विहार गढ रोड, मेरठ, एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज, मेरठ, उ०००- 250004

9. (ए) शाखाः बडीत थी राहुल अरोरा पुत्र थी अशोक कुमार (ऋणी), पता 1. मकान नं0 10/84, गुसाई, पीएस- बड़ीत, तहसील- बड़ीत, जिला-बागपत- 250611, पता 2: 74, गुराना रोड, पंजाबी कॉलोनी, तहसील- बड़ीत, जिला- बागपत (3000)- 250611, श्री अशोक कुमार पुत्र श्री चन्द्रभान (सह-ऋणी), पता 1. मकान नं0 10/84, गुसाई, पीएस- बड़ीत, तहसील- बड़ीत, जिला- बागपत-250611, पता 2: 74, गुराना रोड, पंजाबी कॉलोनी, तहसील- बड़ौत, जिला- बागपत (उ0प्र0)- 250611, श्री भारत अरोरा पुत्र श्री अशोक कुमार (गारन्टर), 74 गुराना रोड, पंजाबी कॉलोनी, तहसील- बड़ीत, जिला- बागपत (उ०प्र०)- 250611, श्रीमती प्रेम लता पत्नी श्री अशोक कुमार (**गारन्टर + बंधककर्ता**), 74 गुराना रोड, पंजाबी कॉलोनी, तहसील- बड़ौत, जिला- बागपत (३०००)-

स्थानः मेरठ

ब्याज दिनांक 01.08.2022 वर्ग मीटर, सम्पत्ति स्वामी श्रीमती कलावती पत्नी स्व0 श्री से + अन्य खर्चे। नानक चंद। विक्रेय विलेख के अनुसार सीमाएँ:- पूर्वः 10 मीटर तत्पश्चात प्लॉट नं0 27, पश्चिम: 10 मीटर तत्पश्चात 36 मीटर चीड़ा रास्ता, उत्तरः 18 मीटर तत्पश्चात् प्लॉट नं0 34, दक्षिण: 18 मीटर तत्पश्चात प्लॉट नं0 36 प्राथमिक सम्पत्तिः बंधक एक आवासीय मकान, माप क्षेत्रफल (ए) 26.08.2022 TO 13,23,019.50

प्राथमिक सम्पत्तिः बंधक मकान नं0 ओपी 35, एच.आई.जी. (ए) 23.08.2022

41.81 वर्ग मीटर, स्थित केशव पुरम, पट्टी बेरू, बड़ीत, (बी) 30.11.2022 जिला- बागपत । सीमाएँ:-पुर्वः 30 फीट चौडा रास्ता एवं मकान का दरवाजा, पश्चिमः दरोगा जी का प्लीट, उत्तरः नइयों का प्लॉट, दक्षिण: 10 फीट चौड़ा रास्ता एवं मकान का दरवाजा प्राथमिक सम्पत्तिः बंधक पट्टी के सभी भाग व भूखंड, (ए) 15.09.2022 चीधरना छपरीली, बढ़ीत, जिला- बागपत, माप क्षेत्रफल 100 वर्ग गज, श्रीमती फरीदा पत्नी श्री मिददा। विक्रेय विलेख के अनुसार सीमाएँ:- पूर्वः कब्रस्तान, पश्चिमः 12 फीट चौड़ा रास्ता, उत्तरः फत्तु का प्लॉट, दक्षिणः बस्सो का प्लॉट।

नोट- उपरोक्त सम्पत्ति का विक्रेय विलेख सब-रजिस्ट्रार

ऑफिस बागपत, वही नं0 1, जिल्द नं0 2201, पेज नं0

दिनांक 12.05.1992, सम्पत्ति स्वामी श्रीमती बस्सो पत्नी

बंधक सम्पत्ति का विवरण

शास्त्री नगर, मेरठ, सम्पत्ति स्वामी श्री मनोज सक्सैना

पुत्र श्री संतलाल सक्सैना, विक्रेय विलेख के अनुसार

सीमाएँ:- पूर्वः 16 फीट 5 इंच फिर 6 मीटर चौड़ा

रास्ता. पश्चिमः 16 फीट 5 इंच फिर मकान नं0 234/1,

उत्तरः 22 फीट फिर मकान नं0 213/1, दक्षिणः 22

क्षेत्रफल 71.71 वर्ग मीटर, खसरा नं0 112/1 मि एवं 118

मि, स्थित ग्रेटर अप्पू एन्क्लेब, ग्राम- मुकरबपुर, पल्हेड़ा,

परगना- दौराला, तहसील- सरधना, जिला- मेरठ, सम्पत्ति

स्वामी श्रीमती आशा चौहान पत्नी श्री मनोज कुमार चौहान

(विक्रेय विलेख दिनांक 21.05.2018, सब-रजिस्ट्रार ऑफिस

सरधना, मेरट बही नं0 1, जिल्द नं0 8082 पेज नं0 23

से 72 क्र0सं0 7641 पर पंजीकृत है।) सीमाएँ:- पूर्वः फ्लैट नं0 50, पश्चिमः 9 मीटर चीडा रास्ता, दक्षिणः फ्लैट नं0

फीट फिर मकान नं0 21/1

60. उत्तर: फ्लैट नं0 62

बंधक एक आवासीय मकान नं0 212/1, माप क्षेत्रफल (ए) 01.09.2022

33.60 वर्ग मीटर, स्थित योजना नं0 7, सेक्टर-1, (क्षी) 01.12.2022

बंधक फ्लैट नं0 61, द्वितीय तल, प्लॉट नं0 61 पर निर्मित (ए) 13.09.2022

कुल माप/सुपर क्षेत्रफल 111.48 वर्ग मीटर, कुल कवर्ड (बी) 01.12.2022

ब्याज दिनांक 01.09.2022 से + अन्य खर्चै।

श्री लतीफ अहमद एवं श्रीमती फरीदा पत्नी श्री मिद्रदा तत्पश्चात श्रीमती बस्सो पत्नी श्री लतीफ अहमद, अपना हिस्सा बेच दिया अर्थात 50 वर्ग गज से श्रीमती फरीदा पत्नी श्री मिद्रदा, विक्रेय विलेख दिनांक 11.04.1994, बही नं0 1, जिल्द ₹0 26.70.246.50 प्राथमिक सम्पत्तिः वंधक दकान के सभी भाग व भूखंड, (ए) 16.09.2022 ब्याज दिनांक 01.09.2022 स्थित भूतल, खसरा नं0 32 का भाग, ग्राम-दांताल, मीहल्ला-वर्दीशपुर कंकरखेडा, मेरठ, माप क्षेत्रफल 15.88 वर्ग मीटर, से + अन्य खर्चै।

अर्थातु 19.00 वर्ग गज, सम्पत्ति स्वामी श्री विशाल सिंघल पत्र श्री राजन सिंघल। विक्रेय विलेख के अनुसार सीमाएँ:- पूर्वः 19 फीट तत्पश्चात सत्पवती की दुकान, पश्चिमः 19 सिंघल पुत्र श्री जयभगवान सिंघल (ऋणी + बंधककता), पता 1: 232, ओम नगर, गली नं0 1, कंकरखेड़ा मेरठ-फोट तत्पश्चातु नरेश चौथरी की दुकान, उत्तरः 9 फीट तत्पश्चातु सत्यवती की दुकान, दक्षिणः 9 फीट तत्पश्चातु सरधना रोड। (नोट उपरोक्त सम्पत्ति का विक्रेय विलेख सब-रजिस्ट्रार ऑफिस मेरेट, क्र0सं0 3193, बही नं0 1, जिल्द नं0 6057, पेज नं0 207 से 244, दिनांक 18.06.2019 पर पंजीकृत है।) बंधक एक आवासीय मकान, नगर निगम नं0 791, माप (ए) 12.09.2022 **50 10,35,494.91** 

121.24 वर्ग मीटर (145 वर्ग गज) मीहल्ला- ब्रह्मपुरी, मेरठ सिटी, सम्पत्ति स्वामी श्री दीपेन्द्र कुमार जैन पुत्र स्व0 (वी) 30.11.2022 दिनांक 31.03.2021 व्याज दिनांक 01.04.2021 श्री मुलचंद जैन एवं श्रीमती शोभा जैन पत्नी श्री दीपेन्द्र कुमार से + अन्य खर्चे। जैन। सीमाएँ:- पूर्व: 26 फीट 6 इंच/ 14 फीट चौड़ा रास्ता, पश्चिमः 26 फीट 6 इंच/ प्लॉट, उत्तरः 49 फीट 3 इंच/ श्री राम स्वरूप का मकान, दक्षिणः 49 फीट 3 इंच/

सलेखचंद का मकान। (नोट- उपरोक्त सम्पत्ति का विक्रेय विलेख सब-रजिस्टार-3 मेरठ, क्र0सं0 6989, वहीं नं0 1,

जिल्द नं0 1800, पेज नं0 303 से 330, दिनांक 02.11.2002 पर पंजीकृत है।) मकान नं0 100/5, भोपाल विहार, गढ़ रोड, मेरठ, निर्मित (ए) 30.05.2022 भूमि माप क्षेत्रफल 85 वर्ग गज अधातु 71.06 वर्ग मीटर, खसरा नं0 1001, स्थित ग्राम- दतावली गेसूपुर मेरठ, सम्पत्ति (बी) 01.12.2022 व्याज दिनांक 01.05.2022 स्वामी रमेश चन्द पटेल। सीमाएँ:- पूर्व: 18 फीट/ 18 फीट

चौडा रास्ता, पश्चिम: 18 फीट/ विद्यावती का प्लॉट, उत्तर: विकेता की भूमि। वंघक एक मकान म्यूनिसिपल नं0 10/84 एम, माप क्षेत्रफल (ए) 22.09.2022 पर्व- 43 फीट 3 ईच. पश्चिम:- 43 फीट 3 ईच. उत्तर-17 फीट 9 इंच, दक्षिण- 17 फीट 9 इंच, कुल माप क्षेत्रफल 85.30 वर्ग गज अर्थातु 71.32 वर्ग मीटर, स्थित पंजाबी क्वाटर पटटी बेरू कस्वा

234, ऋ0सं0 4395, दिनांक 01.05.2007 पर पंजीकृत है।)

**50 15,20,178.00** दिनांक 22.09.2022 ब्याज दिनांक 01.09.2022 से + अन्य खर्चे। बड़ौत, नगर पालिका परिषद की सीमा में तहसील- बड़ौत, जिला- बागपत सीमाएँ:- पूर्वः सदर्शन एवं तिरखा का मकान, पश्चिमः भगवान दास का मकान, उत्तरः विकेता का मकान, दक्षिणः गली। (उपरोक्त सम्पत्ति का विकेय विलेख सब-रजिस्ट्रार ऑफिस- बड़ीत, बड़ी नं0 1, जिल्च नं0 1402, पेज नं0 217 से

प्राधिकृत अधिकारी पंजाब नैशनल बैंक

₹0 10,61,102.54

दिनांक 30.04.2022

से + अन्य खर्वे।

दिनांक-03.12.2022

COURT NOTICE In The Court Of Ms. Rajbir Kaur Judicial Magistrate 1st Class, Bathinda **BCL** Industries

आरओएसएआरबी (दक्षिणी दिल्ली) बैंक ऑफ बड़ौदा भवन, द्वितीय तल,

16 संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001, भारत

दूरमाष सं. 91.11.23441118ए ईमेलः sardel@bankofbaroda.com

गारंटर को सूचना [सरफॉएसि अधिनियम 2002 की धारा 13 की उप–धारा (2) के अंतर्गत]

जैसा कि आप अवगत हैं कि आपने एक गारंटी दिनांकित 08–01–2016 द्वारा श्रीमती केया सेना मित्रा की ओर से हमें देय अथवा हमारे लिये उपगत

**रु. 1,00,00,000.00 (रुपये एक करोड़ मात्र)** की कूल ऋण सीमाओं का, जैसे एवं जब भी प्रभारित होनेवाले व्ययों और ब्याज और अन्य शुल्कों के साथ उक्त

राशि पर ब्याज के साथ, जो अधिक विशिष्ट रूप में उक्त गारंटी प्रलेख में निर्धारित है, तत्समय अथवा तत्समय के उपरांत किसी भी समय पर सभी धनराशियों

की मांग किए जाने पर उनका भगतान करने तथा समस्त देयताओं एवं दायित्वों का निर्वहन करने का आश्वासन (गारंटी) दिया था। गारंटी अर्थात आश्वासन

श्रीमती केया सेन मित्रा के नाम पर अपार्टमेंट नं वीएस—4/बंगला नं 11, 11वां तल, राइज स्काई बंगले में टॉवर वीए<del>स—4</del>, सेक्टर 41, फरीदाबाद, हरियाणा में

हमें आपको सूचित करना है कि ऋणधारक ने अपनी देयताओं के भुगतान में अनेक चूकें की हैं और जिसके परिणामस्वरूप उसके खाता को 29–02–2020 को

अनिष्पादनीय परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। सूचना दिनांकित 21–11–2022 की एक प्रति वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण

तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत हमारे द्वारा ऋणधारक को प्रेषित की गयी थी, जो संलग्न है। चूंकि ऋणधारक ने चूकें

की हैं, अतः आश्वासन अर्थात् गारंटी के अनुसार आप हमें रु. 1,05,77,389.09 (रुपये एक करोड़ पांच लाख सतहत्तर हजार तीन सी नवासी एवं नौ पैसे मात्र)

की ऋण / उधार सविधाओं की कल बकाया राशि का और जैसे एवं जब भी प्रभारित होनेवाले व्ययों और ब्याज और अन्य शल्कों के साथ भगतान करने के

लिए उत्तरदायी हैं, तथा हम एतद्द्वारा आश्वासन (गारंटी) का आह्वान करते हैं और तथा आपको इस सूचना की तिथि से 60 दिवसों के अंदर उक्त राशि का

भुगतान करने का निर्देश देते हैं। कृपया ध्यान रखें कि ऋणधारक को दी गयी / प्रेषित की गयी सूचना दिनांकित **21—11—2022** (प्रति संलग्नित) के अनुच्छेद 1

3. हम आपको आगे यह सूचित करना चाहते हैं कि ऋणधारक द्वारा प्राप्त किए गए ऋणों एवं अग्रिमों के नियत प्रतिभुगतान हेतु तय अपनी आश्वासानगत (गारंटी)

देयताओं को प्रतिभुत करने के लिए आपके द्वारा उपलब्ध करायी गयी प्रतिभृति के संबंध में निर्गत इस 60 दिवसीय सुचना को कृपया वित्तीय परिसंपत्तियों के

प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (यहां इसमें इसके उपरांत अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 13 की उप–धारा (2)

के अंतर्गत निर्गत सूचना के रूप में माना-समझा जाय। हम आपको आगे यह सूचित करते हैं कि भुगतान की तिथि तक आकलित ब्याज के साथ उपरोक्त

राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर, हम उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत समस्त अथवा किसी एक अधिकार का प्रयोग करने

हम आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (13) की ओर आकृष्ट करते हैं, जिसके अनुसार आपको उपरोक्त पैरा 1 में संदर्भित किसी भी

प्रतिभूत परिसंपत्ति को हमारी पूर्व लिखित सहमति प्राप्त किए बिना बिक्री, पट्टे के माध्यम से अथवा अन्यथा (व्यवसाय के साधारणानुक्रम के अतिरिक्त) हस्तांतरित

करने से प्रतिबंधित किया जाता है। इस सूचना में यह जानकारी भी संलग्नित समझी जाए कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) में निहित उपरोक्त प्रावधान का

हम आगे आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) की ओर आकृष्ट करते हैं, जिसके अनुसार आप उस स्थिति में प्रतिभृत परिसंपत्तियों को

बंधकमुक्त कर सकते हैं, जब स्थिति में आप सार्वजनिक नीलामी/कोटेशन आमंत्रण/निविदा/निजी संधि के लिए सूचना के प्रकाशन की तिथि से पहले किसी

भी समय बैंक द्वारा वहन की गई सभी लागतों, शुल्कों और खर्चों के साथ बकाया देयराशियां का भुगतान कर देते हैं। कृपया ध्यान दें कि उपरोक्तानुसार सूचना

कृपया ध्यान दें कि यह मांग सूचना पूर्वाग्रह के बिना है और इसे हमारे पास उपलब्ध / विद्यमान किसी भी अन्य अधिकार या उपचार के अधित्याग के रूप में

प्रतिभृतियों के संक्षिप्त विवरण के साध

दिनांक : 21-11-2022

नहीं माना जाएगा, जिसमें बिना किसी सीमा के, हमारे लिए बकाया राशि के संबंध में आगे की मांग करने का अधिकार सम्मिलित है।

CNR NO: PBBT03-000787-2019 Next date: 06-01-2023 Publication Issued To: Ritikesh Rai R/o Director Of Ritiarya Agro Foods (OPC) private ltd, GRB Ground

floor shipra krishna azure

Ritiarya Agro Foods Private Limited

kaushambi, opposite side kamal hospital, ghaziabad UP-201010 In above titled case, the accused could not be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under section 82 Cr. PC through pulication is hereby issued against accused it is ordered that accused is directed appear in person or through counsel on or before 06-01-2023 at 10:00 a.m. if accused is failed to appear before this court despite his proclamation through publication. then accused may be declared as proclaimed offender, for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district\_n otice&district=Bathinda

1. (ए) शाखाः सिविल लाईन, मेरठ

पता 2: अक्षरधाम कॉलोनी, मोदीपुरम, जिला- मेरठ।